विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक/विउशिनिफोरा/रा.श./2026/09 रायपुर, दिनांक 08 APR 2026

प्रति,

1. श्री संतोष कुमार चंद्राकर,
   पिता श्री कलीराम चंद्राकर,
   देवांगन किराना के पास, प्रोफेसर कॉलोनी,
   जिला – रायपुर (छ.ग.) 492001

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक/06/रायपुर/2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त–एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– अत्यधिक विद्युत देयक जारी किये जाने बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक / 06 / रायपुर / 2026

श्री संतोष कुमार चंद्राकर, ...आवेदक
पिता श्री कलीराम चंद्राकर,
देवांगन किराना के पास, प्रोफेसर कॉलोनी,
जिला – रायपुर (छ.ग.) 492001
मो.नं. 81037–59117

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम), ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 08 / 04 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक श्री संतोष कुमार चंद्राकर (ऑनलाईन पोर्टल) द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 26.02.2026 यह है कि "निवेदन है कि माह जनवरी का विद्युत खपत 257 यूनिट है और बिजली बिल 2400/– का जारी किया गया है ।"

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता टिकरापारा जोन, छ.स्टे. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 651 दिनांक 02.03.2026 को सूचित किया है कि :–

यह लेख है कि विद्युत उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत क्रमांक 1004097178, 3 किलोवॉट का विद्युत कनेक्शन श्री संतोष कुमार चन्द्राकर के नाम से है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा गैर–घरेलू से घरेलू टैरिफ परिवर्तन करने हेतु आवेदन दिया गया था, उक्त आवेदन के आधार पर टैरिफ 16.02.2026 से घरेलू में परिवर्तित हुआ है । चूँकि माह जनवरी 2026 में 31 दिनों में उपभोक्ता द्वारा कुल 257 यूनिट का उपभोग किया गया जो कि प्रतिदिन लगभग 8 यूनिट के खपत की गणना करते हुए सिस्टम द्वारा कुल 120 यूनिट का गैर घरेलू टैरिफ के आधार पर बिलिंग हुई है । साथ ही गैर घरेलू टैरिफ में उच्चतम मांग 4.63 किलोवॉट की (उच्चतम मांग अनुबंध भार से अधिक होने कारण 120 यूनिट में 48 यूनिट का पेनाल्टी बिलिंग हुई है जिसका उर्जा प्रभार 644.80 रूपये तथा 200 रूपये नियत प्रभार है) पेनाल्टी बिलिंग हुई है जो कि ऑनलाईन पोर्टल के

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

मोर·बिजली एप से देखा जा सकता है एवं शेष 137 यूनिट का घरेलू टैरिफ में बिलिंग टैरिफ परिवर्तन दिनांक 16.02.2026 के पश्चात सिस्टम द्वारा स्वतः ही किया गया है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 24.03.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि देवांगन किराना के पास, प्रोफेसर कालोनी रायपुर स्थित एवं आवेदक द्वारा उपयोग किए जा रहे परिसर में संतोष कुमार चंद्राकर के नाम पर 3.0 कि.वा. भार का स्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1004097178 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदक इस विद्युत कनेक्शन का उपयोगकर्ता है । आवेदक के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित माह जनवरी 2026 के देयक में खपत की गयी यूनिट 257 दर्ज है लेकिन देयक राशि रू. 2400.00 दर्ज है जो कि वर्तमान में घरेलू कनेक्शन के लिए लागू टैरिफ दर के अनुसार नहीं है । अपने परिसर स्थित मीटर में दर्ज खपत एवं प्रचलित टैरिफ दर के अनुसार देयक में दर्ज देयक राशि का मिलान न होने के कारण आवेदक द्वारा देयक के सही होने में संदेह प्रकट करते हुए देयक में आवश्यक सुधार किए जाने की अपेक्षा के साथ आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के टीयर–2 में शिकायत (CGRFT2R30000141) दर्ज करायी गयी है ।

4. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 651 दिनांक 02.03.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक के परिसर में पूर्व में गैर घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन विद्यमान था जिसे आवेदक द्वारा घरेलू श्रेणी में परिवर्तित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था । आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.01.2026 से आवेदक के विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी गैर घरेलू से बदलकर घरेलू कर दी गयी । आवेदक द्वारा माह जनवरी 2026 के 31 दिनों में कुल 257 यूनिट की खपत की गयी है । गणना करने पर आवेदक द्वारा प्रतिदिन लगभग 8 यूनिट की खपत किया जाना दर्शित होता है । चूंकि आवेदक के विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी दिनांक 16.01.2026 से परिवर्तित की गयी है अतः माह के 16 दिवस की खपत की गणना के आधार पर 120 यूनिट की बिलिंग गैर घरेलू दर से की गयी है एवं शेष 137 यूनिट की बिलिंग घरेलू दर से की गयी है ।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

. आवेदक के मीटर मे इस माह में दर्ज की गयी अधिकतम मांग (4.63 कि.वा.) के आवेदक के अनुबंधित भार से अधिक होने के कारण नियमानुसार पैनल बिलिंग की गयी है । चूंकि देयक में घरेलू एवं गैर घरेलू देयक राशि का अलग अलग उल्लेख नहीं है इसीलिए संभवतः आवेदक द्वारा माह जनवरी 2026 के देयक की गणना पर संदेह किया जा रहा है । उत्तरवादी द्वारा आवेदक के माह जनवरी 2026 के देयक की विस्तृत गणना का पत्रक भी साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है । उत्तरवादी के अनुसार आवेदक को प्रेषित माह जनवरी 2026 का देयक सही एवं आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है ।

5. यह कि दिनांक 24.03.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित नहीं हुए । यद्यपि आवेदक द्वारा फोरम को प्रेषित पत्र दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से सूचित किया गया कि उत्तरवादी द्वारा माह जनवरी 2026 के देयक में गणना संबंधी उसकी शंकाओं का निवारण कर दिया गया है जिससे वे संतुष्ट हैं ।

6. आवेदक द्वारा फोरम को प्रेषित पत्र दिनांक 07.04.2026 में, उत्तरवादी की कार्यवाही से स्वयं के संतुष्ट होने संबंधी किए गए लेख के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

7. आदेश पारित ।

8. प्रकरण निराकृत ।

9. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । | निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)